



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक -09.04.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 03 अभियोगों में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम - कोत0 उरई में मु0अ0सं0 549/2011 (वाद संख्या - 112/2011) धारा 403/411/413 भादवि बनाम शेरू उर्फ गुफरान पुत्र मो0 अली निवासी मो0 चन्द्रकुआं कस्वा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गुफरान उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय - कोत0 उरई में मु0अ0सं0 32/2011 (वाद संख्या - 05/2012) धारा 379/411 भादवि बनाम शेरू उर्फ गुफरान पुत्र मो0 अली निवासी मो0 चन्द्रकुआं कस्वा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गुफरान उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय - कोत0 उरई में मु0अ0सं0 06/2012 (वाद संख्या - 2462/2010) धारा 379/411 भादवि बनाम शेरू उर्फ गुफरान पुत्र मो0 अली निवासी मो0 चन्द्रकुआं कस्वा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गुफरान उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।